UPVR050010672021

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), वाराणसी।

पीठासीन अधिकारीः- श्री रवि कुमार दिवाकर (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

JO CODE:- UP01828

C.N.R No. UPVR05-001067-2021

मूलवाद संख्या-693/2021

श्रीमती राखी सिंह आदि----------बनाम------- उ० प्र० सरकार आदि

दिनाँकः-17.05.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थनापत्र 79 ग अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया है कि दिनाँक 12.05.2022 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर आयुक्त नियुक्त किया गया और अन्य दो लोग भी साथ कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, परन्तु वे कमीशन कार्यवाही के दौरान रूचि नही ले रहे हैं और सहयोग भी पूरी तरह नही कर रहे हैं और कमीशन कार्यवाही के बाबत रिपोर्ट भी बनानी है तथा कमीशन की कार्यवाही मेरे निर्देशन में हुई है तथा मेरे द्वारा कमीशन कार्यवाही की गयी है और दोनों अधिवक्ता कमिश्नर का सहयोग व रूची नही दिख रही है। दोनों लोग साथ-साथ में है और मुझ प्रार्थी को कमीशन कार्यवाही करने में मेरे द्वारा सहयोगियों की सहायता लेनी पड़ रही है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थिति स्पष्ट करें और आदेश पारित करें, ताकि न्याय हो सके।

मेरे द्वारा विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह, अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्रा एवं सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थनापत्र 79 ग अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया है कि दिनाँक 12.05.2022 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर आयुक्त नियुक्त किया गया और अन्य दो लोग भी साथ कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, परन्तु वे कमीशन कार्यवाही के दौरान रूचि नही ले रहे हैं और सहयोग भी पूरी तरह नही कर रहे हैं और कमीशन कार्यवाही के बाबत रिपोर्ट भी बनानी है तथा कमीशन की कार्यवाही मेरे निर्देशन में हुई है तथा मेरे द्वारा कमीशन कार्यवाही की गयी है और दोनों अधिवक्ता कमिश्नर का सहयोग व रूची नही दिख रही है। दोनों लोग साथ-साथ में है और मुझ प्रार्थी को कमीशन कार्यवाही करने में मेरे द्वारा सहयोगियों की सहायता लेनी पड़ रही है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थिति स्पष्ट करें और आदेश पारित करें, ताकि न्याय हो सके। अधिवक्ता कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा एवं सहायक अधिवक्ता कमिश्नर श्री अजय प्रताप सिंह के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से कहा गया कि उनके द्वारा पूर्णतः सहयोग किया जा रहा है, किन्तु विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा न्यायालय के समक्ष अभिकथन किया गया कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्रा ने निजी कैमरा मैन श्री आर०पी०सिंह को रखा था, जो कि बराबर मीडिया में गलत बाईट दे रहे हैं, इस कारण से उनको कल कमीशन की कार्यवाही से बाहर किया गया। श्री अजय कुमार मिश्रा वकील कमिश्नर द्वारा इस तथ्य की

Digitally signed by RAVI KUMAR DIWAKAR
Date: 2022.05.17 16:39:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुष्टि की गयी। जब कोई अधिवक्ता, अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्यवाही का सम्पादन पूरी निष्पक्षता एवं इमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान आदि पब्लिक में नही देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यन्त गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूँकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थनापत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिये दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्रा के द्वारा जो प्राईवेट कैमरा मैन रखा गया था, उसके द्वारा बराबर मीडिया बाईट दी गयी, जो कि न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल हैं।

अतः प्रार्थनापत्र 79ग इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनाँक 12.05.2022 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगें। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह, विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के निर्देशन में ही कार्य करेंगें, वे श्री अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नही करेंगे। दिनाँक 12.05.2022 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्यवाही विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 80ग प्रस्तुत किया गया है तथा वादिनीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 82ग प्रस्तुत किया गया है, जिस पर आपत्ति आमंत्रित की जाती है। प्रार्थनापत्र 82ग के संबंध में विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेगें। विशेष अधिवक्ता कमिश्नर श्री विशाल सिंह द्वारा भी प्रार्थनापत्र 81ग प्रस्तुत किया गया है कि कमीशन रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 2 दिन का समय प्रदान किया जाए। प्रार्थनापत्र 81ग स्वीकार किया जाता है और उन्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। पत्रावली प्रार्थनापत्र 80ग व प्रार्थनापत्र 82ग पर सुनवाई हेतु दिनाँक 18.05.2022 को पेश हो।

(रवि कुमार दिवाकर)
सिविल जज(सी०डि०),
वाराणसी।

(वैयक्तिक सहायक)
केशव प्रकाश वर्मा